NRO-1-2450480352-18.1-003

कार्यालय जिलाधिकारी, बांदा

पत्रॉक-1332/भू0अ0लि0 बॉदा दिनांक–सितम्बर 20, 2008

आदेश

शासनादेश सं0–1722/एक–1/2006–12 (23) रा0–1 दिनांक 06.11.06 के प्रस्तर 2 में वर्णित राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–258/ रा0–1–16(1)–73 दिनांक 05.03.1974 द्वारा उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (6) के आधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं रंजन कुमार, कलेक्टर बांदा अनुसूची में अंकित भूमि जो आज तक गाँव सभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी तथा राजस्व विभाग के भूमि–अभिलेखों में श्रेणी– 5 गाँव सभा के खाते में दर्ज थी, जिसका बाजारू मूल्य 7,00,000/रू0 (सात लाख रूपये मात्र) तथा पूंजीकृत मूल्य माल गुजारी का 40 गुना 1000/- रू0 मात्र है, को शासनादेश संख्या–299/एक–1–97–132/96–टी0सी0 दिनांक 12.02.1997 के प्रस्तर 1 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील नरैनी के ग्राम बड़ोखर बुजुर्ग में राजकीय पालीटेक्निक, जो उ0प्र0 राज्य सरकार का स्थायी सेवारत विभाग है, के निर्माण के लिये निशुल्क दिये जाने हेतु पुनर्ग्रहीत करता हूँ।

अनुसूची

क0सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण प्रयोजनार्थ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बांदा	नरैनी	नरैनी	बड़ोखर बुजुर्ग	33 मि0	4.050	राजकीय पालीटेक्निक के निर्माणार्थ

(रंजन कुमार)
कलेक्टर, बांदा

पृष्ठांकन संख्या–1332/भू0अ0लि0 बांदा तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–10 लखनऊ।

2– उपसचिव उ0प्र0 शासन अनुभाग–1 लखनऊ।

3– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।

4– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार नरैनी को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश की एक प्रति तहसील भवन एवं सम्बन्धित ग्राम के सहज सदृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा उक्त पुनर्ग्रहीत भूमि का कब्जा राजकीय पालीटेक्निक के निर्माणार्थ संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 बुन्देलखण्ड, क्षेत्र झांसी के माध्यम से हस्तानान्तरित कराने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सरकारी अभिलेखों में तदनुसार इन्द्राज कर इस कार्यालय को अवगत करायें।

5– संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 बुन्देलखण्ड, क्षेत्र झांसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6– निदेशक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामाग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु।

7– जिला सूचना अधिकारी बांदा को स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
नरैनी (बाँदा)

(रंजन कुमार)
कलेक्टर, बांदा।

कृपया पृष्ठ उलटिये → (2)